झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी॰एम॰सी॰/प्र0स्वी0/112/2016–......... /राँची, दिनांकः–................

प्रेषकः

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वाराः **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषयः– **सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत विजय वीयर योजना, सुरंगी जलाशय योजना, रोरो वीयर योजना एवं तपकरा जलाशय योजना के डैम एवं नहरों के विभिन्न गेटों के यॉंत्रिक कार्य हेतु रू० 168.53 लाख (एक करोड़ अड़सठ लाख तीरेपन हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

1. सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत विजय वीयर योजना, सुरंगी जलाशय योजना, रोरो वीयर योजना एवं तपकरा जलाषय योजना के डैम एवं नहरों के विभिन्न गेटों के यॉंत्रिक कार्य हेतु रू० 168.53 लाख (एक करोड़ अड़सठ लाख तीरेपन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–
2. इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेंगे :-

(A) **विजय जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रू० 15.81 लाख) :–**

(i) विजय जलाशय योजना के कैनाल नेटवर्क पर चार अदद H/R गेट एवं दो अदद C/R गेट का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(ii) गेंटों के Embedded Parts, Hoist Arrangement एवं Hoist bridge का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

(B) **सुरंगी जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रू० 33.05 लाख) :–**

(i) मुख्य नहर के विभिन्न चेनों पर सात H/R एवं C/R गेटों का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(ii) योजना के गेटों के Embedded Parts एवं Hoisting Arrangement का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

(C) **रोरो वीयर योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रू० 68.27 लाख) :–**

(i) योजना के दो U/S gate, पांच HR/CR गेट एवं नहर गेट का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(ii) गेटों का Hoisting Arrangement, embedded parts & railing का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

(D) **तपकरा जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रू० 51.40 लाख) :–**

(i) तपकरा जलाशय योजना के डैम आउटलेट पर लगे Service एवं Emergency गेटों का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(ii) योजना के Embedded Parts एवं Hoisting Arrangement का मरम्मति कार्य।

(iii) गेटों के वायर रोप को बदलने का कार्य।

(iv) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें तथा मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक), जल संसाधन विभाग, रॉंची नियंत्री पदाधिकारी होगे।

4. **इस कार्य पर होने वाला व्यय :–**

मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2017–18, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची से की जायेगी।

8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

9. इन कार्यो को वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ करके एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

14. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, रॉंची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 112 / 2016–......... / राँची, दिनांकः–................

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ / योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह० / –

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 112 / 2016–......... / राँची, दिनांकः–................

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह० / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 112 / 2016–......... / राँची, दिनांकः–................

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / संयुक्त सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) सिंचाई यॉत्रिक अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची / अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एंव आयोजन अंचल–1 / 2 / 3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह० / –

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 112 / 2016–......... / राँची, दिनांकः–................

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित् करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० / –

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 112 / 2016–.........5311 / 8 प्र॰ स्वी॰ / राँची, दिनांकः–................07.11.2017

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित एवं कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को On-line करने हेतु प्रेषित।

07/11/2017
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)
07/11/17